



Neutral Citation No-2026:AHC:1874

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4827 वर्ष 2025

सुरिंदर सिंह @ नाथूराम याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रघुराज सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षी के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

(i) उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम की धारा 48(1) के तहत प्रतिपक्षी संख्या-2/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक)/चकबंदी उपनिदेशक, डिस्ट्रिक्ट औरैया द्वारा पारित दिनांक 01.08.2025, 1953 और आदेश दिनांक 04.08.2023 प्रतिपक्षी संख्या-3/उप मंडल मजिस्ट्रेट (न्यायिक)/समेकन अधिकारी, जिला-औरैया अपील संख्या-72 वर्ष 2022 में (सुरिंदर सिंह @ नाथूराम बनाम सुनीता देवी और अन्य) उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम की धारा 11(1) और प्रतिपक्षी संख्या-4/चकबंदी अधिकारी काकोर, औरैया द्वारा उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत अधिनियम की धारा 51 ए(2) में प्रतिपक्षी संख्या-4/चकबंदी अधिकारी काकोर, औरैया द्वारा पारित के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।



ii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसे यह उच्च न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

iii) याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका की लागत प्रदान करें।

3. प्रस्तुत रिट याचिका यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुई है। चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 11.01.2021 के आदेश के माध्यम से निर्विरोध उत्तराधिकार के आधार पर यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत आवेदन की अनुमति दी है, जिसके तहत मृतक शिव प्रसाद के दोनों बेटों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया गया था। बाद के चरण में, दिनांक 11.01.2021 के आदेश के खिलाफ एक रिकॉल आवेदन दायर किया गया है। चकबंदी अधिकारी ने रिकॉल आवेदन की अनुमति दी है और दिनांक 02.05.2022 के अपने आदेश के माध्यम से मूल कार्यवाही को बहाल कर दिया है। बहाली आदेश के खिलाफ अपील को निपटान अधिकारी द्वारा दिनांक 04.08.2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, और प्रस्तुत याचिकाकर्ता की ओर से दायर किए जा रहे पुनरीक्षण पर चकबंदी के उप निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

4. प्रश्न में संपत्ति पर पक्षगण के अधिकार और शीर्षक के संबंध में कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है। चकबंदी अधिकारी ने केवल बहाली आवेदन की अनुमति दी है और यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत मूल कार्यवाही को उसकी मूल संख्या-में बहाल कर दिया है। अपीलीय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों पक्षों के पास अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश करने और चकबंदी अधिकारी के समक्ष कार्यवाही का विरोध करने का अवसर है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधता, विकृति, अनियमितता या दुर्बलता नहीं है। अभिलेखों पर यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता कैसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या यदि चुनौती के तहत आदेशों के कारण उसके लिए न्याय का कोई हानि/क्षति होने की संभावना है।

6. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत रिट याचिका, गलत और गुणों से रहित होने के कारण, लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज की जाती है।



7. मामले को सुलझाने से पहले, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने चकबंदी अधिकारी के समक्ष यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण का आग्रह किया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता चकबंदी अधिकारी के समक्ष अंतरिम राहत के लिए एक उपयुक्त आवेदन पेश करने के लिए स्वतंत्र है, जो संबंधित पक्षों को सुनने के बाद, कानून के अनुसार, अंतरिम राहत के लिए उक्त आवेदन पर विचार करेगा और निर्णय लेगा।

जनवरी 6, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)